विकास भुजंगराव डावरे
वकील उच्च न्यायालय
(बी.कॉम., बी.एल.एस., एल.एल.बी)
[redacted] ई-मेल:- vikasdaware@hotmail.com, दूरध्वनी:- +९१९८६७३९८६१५

अनु. क्र. ११२/वि. ली. रो/२०२० दिनांक:- २०/०५/२०२०

प्रति,
मा. श्री. प्रकाश जावड़ेकर जी,
केंद्रीय मंत्री,
सूचना एवं प्रसार मंत्रालय,
नई दिल्ली -११००३६
दूरध्वनी:- २३३८४७८२
२३३८६७४८/२३३८६७४२
फॅक्स:- २३७८२११८

विषय:- मोबईल ऍप्लिकेशन्स द्वारा रचित देशविघातक गतिविधियों पर क़ानूनी नीति निर्देश पारित कर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र।

संदर्भ:- १) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००, अनुभाग ६६ अ, ६६ फ, ६७, ६७ अ, ६७ ब।
२) भारतीय दंड संहिता १८६०, अनुभाग ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११।

मा. श्री. प्रकाश जी,

पिछले कुछ दिन तथा महीनों सें भारत के विभिन्न क्षेत्रो में कोविड-१९ नामक बीमारी का संसर्ग कई कारणों सें हो रहा है। इस फैलाव को रोकने के अथक परिश्रम केंद्र स्तर पर हो रहे है यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। हम एक राष्ट्र के रूप में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन कर देशवासियों को इस बीमारी से जल्द ही मुक्त कर पाएंगे यह विश्वास है। इस कठिन परिस्थिति में सभी समाजसेवी संघटन कार्यरत है और अपने-अपने स्तर पर इस बीमारी को रोकने हेतु अपना-अपना योगदान तन-मन-धन पूर्वक दे रहे है यह भी हम सभी इस बिकट परिस्थिती से जल्द ही बाहर आने का एक सुखद संकेत है।

प्रकाश जी, एक गंभीर विषय की और आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु औपचारिकता से पत्र लिखकर आपको तकलीफ देने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। परन्तु विषय की गंभीरता ध्यान में लेते हुएँ आपको लिखना जरुरी समझा।

प्रकाश जी, भारत की वर्त्तमान जनसंख्या ध्यान में रखते हुएं इसका अवलोकन करे तो भारत में अधिकतर जनशक्ती युवा है इस बात में कोई दोहराहें नहीं। परन्तु गत कुछ वर्षो से सोशल मीडिया का प्रभाव भारतीय समुदाय पर अधिकतर पड़ा, यहाँ का तरुण, अरुण बाल गट ज्यों की उम्र १३ से २७ के बीचमे है उसे यह सोशल मीडिया माध्यम अधिक आकर्षित करने में सफल हुआ यह भी एक तथ्य है।

प्रकाश जी, गत कुछ वर्षो से कुछ मोबाईल ऍप्लिकेशन्स जैसे की टिकटॉक (TikTok) और अन्य, इन्होने मानसिक रूप से हमारे देश के युवाओं पर अधिराज्य प्रस्थापित किया है, मनोरंजन के नाम पर इन ऍप्लिकेशन्स ने समाज में कुरीतियों को बढ़ावा देने की साजिश जैसे की महिला उत्पीड़न, आम्ल हल्ला, धार्मिक द्रोह फैलाना, बलात्कार, और अन्य शारीरिक तथा मानसिक

विकास भुजंगराव डावरे
वकील उच्च न्यायालय
(बी.कॉम., बी.एल.एस., एल.एल.बी)
[redacted] ई-मेल:- vikasdaware@hotmail.com, दूरध्वनी:- +९१९८६७३९८६१५

उत्पीड़न को बढ़ावा देना इन जैसे गैरकानूनी मार्गो से समाज की शांति भंग करने में अपना सक्रीय सहभाग देते हुए शुरू की है यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। जिसका फलस्वरूप समाज में बढ़ती हुई हिंसाचारो की घटनाएं मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के प्रति शारीरिक, मानसिक विकृति को बहकावा देकर समाज का शोषण करना यह कार्य इन विभिन्न मोबाईल ऍप्लिकेशन्स के माध्यम से कुछ समाजद्रोही गट गुनेह्गारी मानसिकता से इसे छुपे रूप से अंजाम देने के सत्र शुरू करते नजर आ रहे है। आपके समक्ष इस गंभीर विषय में कुछ उदाहरण स्पष्ट हो इस हेतु कुछ वीडियो क्लिप्स इस पत्र के साथ जोड़ रहा हूँ।

प्रकाश जी, इन ऍप्लिकेशन्स के माध्यम से ज्यों भी समाजविरोधी गतिविधियाँ कार्यरत है, उन सभी पर तत्परता पूर्वक प्रतिबंध लगाना अतिआवश्यक है। अन्यथा, हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इन समाजविरोधी गतिविधियों का विस्फोट होकर देश का युवा मानसिक रूप से अपाहिज होने से रोकने में हम असफल हों सकते है।

प्रकाश जी, क़ानूनी रूप से इन ऍप्लिकेशन्स को ऐसे काम करने पर रोक लगाने हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए भविष्य में भी ऐसे विकृत ऍप्लिकेशन्स हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे इसलिए उन्हें भारत में डाउनलोड होने से रोकना यह एक उत्तम एवं अंतिम मार्ग है।

प्रकाश जी, मोबाईल ऍप्लिकेशन्स पर क़ानूनी नजर रखने हेतु कुछ कठोर नियम बनाने की प्रखर आवश्यकता है। मोबाईल ऍप्लिकेशन्स में फ़िल्टर जोड़कर अच्छी सामग्री तथा हानिकारक सामग्री का वर्गीकरण करने की आवश्यकता वर्त्तमान में है। इस विषय की गंभीरता ध्यान में रखते हुए आपसे कुछ निवेदन करता हूँ, कृपया उनपर विचारमंथन करें यह विनती है।

१) मोबाईल ऍप्लिकेशन्स के माध्यम से चल रहे देश विरोधी गतिविधियों को रोकना।
२) मोबाईल ऍप्लिकेशन्स के सन्दर्भ में अधिक कठोर नियम व् कानून पारित करना।
३) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० के अनुभाग ६६ अ, ६६ फ, ६७, ६७ अ, ६७ ब अनुसार इन मोबाईल ऍप्लिकेशन्स के ऊपर मर्यादित रोक लगाई जा सकती है, परन्तु इन में से कुछ मोबाईल ऍप्लिकेशन्स में फ़िल्टर ना होने के कारण इन पर दैनंदिन क़ानूनी नजर नहीं रखी जा सकती। इसपर विचार कर उपाययोजना करने की आवश्यकता है।
४) टिकटॉक (TikTok) जैसे मोबाईल ऍप्लिकेशन्स इनमें फिल्टर्स ना देकर समाज पर विपरीत परिणाम करते हुए, गुनेह्गारी मानसिकता को बहकावा देने के कार्य में सहकार्य देते है यही प्रतीत होता है। इस कारण इन पर क़ानूनी रोक लगनी आवश्यक है।
५) मोबाईल एप्लीकेशन के उपयोग के सन्दर्भ में निति निर्देशों का चयन कर देशविघातक गतिविधियों पर रोक लगाया जा सकता है।

धन्यवाद और सादर प्रणाम,

Adv Vikas Daware
Digitally signed by Adv Vikas Daware
DN: cn=Adv Vikas Daware, o=V Daware's Legal Rostrum, ou=Law Firm, email=vikasdaware@hotmail.com, c=IN
Date: 2020.05.21 15:20:54 +05'30'

आपका विनीत,
विकास डावरे